पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

राज्य के गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम

''राज्य के गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम'' अन्तर्गत मत्स्य अंगुलिका आपूर्ति करने हेतु इच्छुक राज्य स्थित मत्स्य हेचरियों से आवेदन आमंत्रित किये किये जाते हैं।

योजना का उद्देश्य

यह एक नई योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बहते नदियों में मूल प्रजाति के मेजर कार्प मछलियों को पुनर्स्थापित किया जाना है। इसके लिए नदी विशेष के कार्प मछलियों को मानक के अनुसार कृत्रिम प्रजनन के द्वारा बीज उत्पादन कर उसी नदी में पुनर्स्थापन की जाएगी जिसमें कार्प मछलियों की नदियों में घटती आबादी को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

योजना का क्रियान्वयन :-

योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सदाबहार नदियों यथा गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, कोसी, घाघरा, कमला, बलान, बागमती, महानंदा, पुनपुन, फाल्गु, करेह आदि में क्रियान्वित की जायेगी।

योजना का लाभ :-

1. नदियों में मेजर कार्प मछलियों की आबादी बढ़ेगी जिससे नदियों का मत्स्य–जैव संतुलन कायम होगा।
2. नदी में उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी जिससे मत्स्य प्रग्रहण पर निर्भर मत्स्यजीवी समुदाय के आजीविका में सहुलियत होगी।
3. नदी के पुनर्स्थापना होने से नदियों में मूल प्रजाति के मेजर कार्प मछलियों की उपलब्धता पुनः स्थापित हो सकेगी जिससे भविष्य के प्रजाति उन्नयन कार्यक्रम में सहायता मिलेगी।
4. मत्स्यजीवी एवं मछुआ को रोजगार एवं आय में अभिवृद्धि होगी।

अर्हता :-

निजी हैचरी संचालक / पी0पी0पी0 (सरकारी) मोड के तहत / सार्वजनिक क्षेत्र के मत्स्य बीज हैचरी के संचालक योजनान्तर्गत आवेदक होंगे। हैचरी कार्यरत अवस्था में हो तथा हैचरी परिसर में कम से कम 4–5 लाख मत्स्य बीज रियरिंग हेतु पर्याप्त तालाब / नर्सरी उपलब्ध हो। हैचरी संचालन हेतु आवेदक को मत्स्य प्रजनन तकनीक की बुनियादी जानकारी हो।

वांछित कागजात :-

आवेदन पत्र में आवेदक को आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, मत्स्य बीज हैचरी का नाम, लोकेशन एवं हैचरी का वार्षिक स्पॉन उत्पादन क्षमता, संलग्न फार्म के रियरिंग स्पेस(संख्या एवं जलक्षेत्र) से वार्षिक फ्राई एवं फिंगरलिंग उत्पादन क्षमता एवं हैचरी अधिष्ठापन / निर्माण का वर्ष अंकित करना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी शपथ–पत्र (यदि इच्छुक हों तो) आदि संलग्न करना होगा।

निजी मत्स्य हैचरी से अंगुलिका आपूर्ति करने संबंधी सामान्य निर्देश :-

(i) ब्रुड स्टॉक हेतु प्रजनक मछली का संग्रहण नजदीक के चिन्हित सदाबहार नदियों के स्त्रोत का हो।
(ii) हैचरी परिसर में ब्रुड–प्रबंधन एवं बीज रियरिंग का उचित व्यवस्था हो अर्थात् पर्याप्त तालाब की संख्या हो, इत्यादि।

आवेदन की प्रक्रिया :-

योजना हेतु आवेदन **http://fisheries.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि **30.05.2023** तक ।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या–365, दिनांक–23.01.2023 तथा विभागीय दिशा–निर्देश पत्रांक–584 दिनांक–17.03.2023 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है।

PR No. 001307 (Animal) D. 2023-24